



2026:AHC:178904

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29800 वर्ष 2026

ज्योति चौहान @ अजीत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : समीर तिवारी

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री समीर तिवारी की ओर से अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 148 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम चार अन्य व्यक्तियों के साथ अंकित है, किंतु सूचनाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा अपने कथन में आवेदक को चोट पहुंचाने की कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है और उसके अनुसार सह-अभियुक्त राहुल गौड़ मुख्य अभियुक्त था, जिसने चाकू से चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता के अनुसार आवेदक एवं तीन अन्य व्यक्तियों ने मृतक को पकड़ रखा था और तत्पश्चात सह-अभियुक्त राहुल गौड़ ने मृतक को चाकू से चोटें पहुंचाई।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता के अतिरिक्त कई अन्य प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, किंतु उनके कथनों से यह परिलक्षित होता है कि उन्होंने सह-अभियुक्त राहुल गौड़ सहित सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है और उन्होंने यह नहीं कहा है कि आवेदक ने मृतक को पकड़ रखा था। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति वास्तविक घटना को देख नहीं सका था और आवेदक निर्दोष है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह दिनांक 24.06.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ अंकित है तथा सूचनाकर्ता के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक एवं तीन अन्य व्यक्तियों को मृतक को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई है और सूचनाकर्ता के अनुसार आवेदक एवं तीन अन्य व्यक्तियों ने मृतक को पकड़ रखा था तथा तत्पश्चात सह-अभियुक्त राहुल गौड़ ने मृतक को चाकू से चोटें पहुंचाई। अतः सूचनाकर्ता के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने सभी अभियुक्तों को सामान्य भूमिका सौंपी है, किंतु उन्होंने आवेदक का नाम भी बताया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में भी आवेदक केवल दिनांक 24.06.2026 से, अर्थात् पिछले दो माह से ही कारागार में निरुद्ध है।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अतः मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



11. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सूचनाकर्ता के कथन से यह परिलक्षित होता है कि मृतक को चाकू से चोटें पहुंचाने की भूमिका सह-अभियुक्त राहुल गौड़ को सौंपी गई है, किंतु दोनों दस्तावेजों से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक एवं तीन अन्य व्यक्तियों ने मृतक को पकड़ रखा था और तत्पश्चात सह-अभियुक्त राहुल गौड़ ने मृतक को चाकू से चोटें पहुंचाईं। अतः न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट से और न ही विवेचना के दौरान अभिलिखित सूचनाकर्ता के कथन से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि आवेदक निर्दोष है।

12. इसके अतिरिक्त, सूचनाकर्ता के अलावा कई अन्य प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और यद्यपि उन्होंने अपने कथनों में सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है, किंतु उन्होंने आवेदक का नाम भी स्पष्ट रूप से बताया है। अतः प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों से भी यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।

13. इसके अतिरिक्त, आवेदक दिनांक 24.06.2026 से ही, अर्थात् पिछले दो माह से ही कारागार में निरुद्ध है।

14. अतः ऊपर विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन इस स्तर पर निरस्त किया जाता है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

ए.के पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।